न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00187

1. कंवर लाल आत्मज रामसुख जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामनारायण पुत्र कंवर लाल जाति लोधा ।
   1/2. जयकिशन पुत्र कंवर लाल जाति लोधा ।
   1/3. कृष्ण गोपाल पुत्र कंवर लाल जाति लोधा ।
   1/4. बरजी बाई पुत्री कंवर लाल जाति लोधा ।
   1/5. कोशल्या बाई पुत्री कंवर लाल जाति लोधा निवासीगण ग्राम बडोदियाकला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

–––अपीलान्ट

बनाम

1. गौरीशंकर आत्मज राधाकिशन जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. नाथी बाई बेवा गौरीशंकर जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
   1/2. नन्दू बाई पुत्री गौरीशंकर जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
   1/3. बबली पुत्री गौरीशंकर जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
   1/4. छीतर लाल पुत्र गौरीशंकर जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
   1/5. लोकेश पुत्र गौरीशंकर जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
2. गजानन्द आत्मज राधाकिशन जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
3. मोहनलाल आत्मज राधाकिशन जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
4. कमला पुत्री राधाकिशन जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
5. भरोस पुत्री राधाकिशन जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
6. रामदयाल आत्मज धन्ना लाल जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
7. नरेश आत्मज धन्ना लाल जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
8. रामसिंह आत्मज धन्ना लाल जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
9. लालचन्द आत्मज धन्ना लाल जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
10. नट्टी बाई बेवा धन्ना लाल जाति लोधा निवासी ग्राम बडोदिया कला ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

–––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमेश चन्द शर्मा, श्री मुकेश लोधा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 04.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट (मृतक) कंवर लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53, 54 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धारूपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 108 की रकबा 1.89 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 108 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा थे और उक्त भूमि राधाकिशन, कंवरलाल पुत्र रामसुख्या जाति लोधा के खातेदारी में दर्ज रही है । उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/2 एवं 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 का हिस्सा निहित है । वादी अपने 1/2 हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और अपने 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करवाकर उक्त भूमि को अपने पृथक खाते में दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वादी के पृथक खाते में दर्ज की जावे और पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 10 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण कम 1, 2, 3 व 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 से व्यथित होकर वादी (मृतक) कंवर लाल के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि आपसी विभाजन में साबिक खसरा नम्बर 105 एवं खसरा नम्बर 107 की आराजी जरिये इंतकाल संख्या 377 से घांसी के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई एवं घांसी के वारिसान के द्वारा रामसिंह, ओमप्रकाश, सुरेन्द्रसिंह पिसारान जमनालाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी गई जबकि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 108 की रकबा 1.89 हैक्टर शेष रही जिसमें रामसुख के दोनों पुत्रों वादी कंवरलाल एवं राधाकिशन का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है । कंवर लाल द्वारा साबिक खसरा नम्बर 105 व 107 की भूमि में से कोई भूमि बेचान नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों

को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने परीक्षण न्यायालय में एक दावा हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । ग्राम घारूपुरा तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 108 की रकबा 1.89 हैक्टर आराजी स्थित है । इसके साबिक खसरा नम्बर 108 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा थे । उक्त भूमि के खातेदार कंवरलाल एवं राधाकिशन पिता रामसुख थे । वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है । जमाबन्दी संवत् 2051–54 में वादी का नाम दर्ज था परन्तु बाद में सम्वत् 2068–71 की जमाबन्दी में त्रुटिवश वादी का नाम खाते में दर्ज नहीं किया जबकि वादी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है । घांसी इस दावे में पक्षकार नहीं हैं उनके वारिसान के द्वारा खसरा नम्बर 105 एवं 107 के साथ–साथ 106 की आराजी रामसिंह, ओमप्रकाश आदि को बेचान की है । यह आराजी न्यायालय के निर्णय से घांसी के वारिसान के खाते में दर्ज हुई थी और उनके द्वारा बेचान की गई है । अपीलान्ट के द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ नामान्तरकरण की प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 106 एवं 107 की आराजी घांसी के वारिसान के खाते में दर्ज हुई है । अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 105 एवं 107 की आराजी को कभी भी विक्रय नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपीलान्ट ने अपील में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 नया खाता संख्या 118 पेश की है जिसके अनुसार राधाकिशन, कंवर लाल के खाते में कुल 03 किता की 23 बीघा 04 बिस्वा आराजी दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 377 का नोट अंकित है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 105 और 107 की आराजी हीरालाल, नन्दकिशोर आदि के खाते में दर्ज करने के आदेश हुए हैं ।

10. अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । इस प्रार्थना पत्र के साथ नामान्तरकरण संख्या 377 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 23.08.1999 की पालना में खसरा नम्बर 105 और 107 की आराजी हीरालाल, नन्दकिशोर, फूलचन्द पुत्र घांसी, चन्द्रकला पुत्री घांसी के नाम दर्ज हुई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2053–58 की प्रमाणित प्रति भी पेश की है जिसके अनुसार कुल 03 किता की आराजी खसरा नम्बर 105, 107 एवं 108 की आराजी राधाकिशन, कंवरलाल के खाते में दर्ज है और निर्णय दिनांक 23.08.1999 उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की प्रमाणित प्रति भी पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 105 और 107 की आराजी का वादी घांसी जरिये कायममुकामान खातेदार घोषित किया गया है । प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उसमें नामान्तरकण संख्या एंव निर्णय की प्रतियॉ हैं एवं प्रकरण से सम्बन्धित हैं ।

12. अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । विद्वान् अभिभाषक ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है जिससे अपीलान्ट का क्या सम्बन्ध है यह स्पष्ट नहीं कर पाये हैं । परीक्षण

न्यायालय ने विधि सम्मत दावा वादी खारिज किया है । अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज अपील में पेश किये गये हैं वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । इनको अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया है । अपीलान्ट के द्वारा अपने हिस्से का दिनांक 07.03.2002 को बेचान कर दिया गया है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 बहाल रखा जावे ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी कंवर लाल ने हक घोषणा, विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 पेश की है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 108 की रकबा 1.89 हैक्टर आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 108 की 11 बीघा 14 बिस्वा के 108 रकबा 1.89 हैक्टर कायम हुए हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 प्रदर्श– 3 है जिसके अनुसार राधाकिशन एवं कंवरलाल के खाते में कुल 03 किता की 23 बीघा 04 बिस्वा आराजी दर्ज है ।

15. परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया है ।

16. वादी की ओर से बयान कृष्णगोपाल पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

17. प्रतिवादी की ओर से बयान गजानन्द कराये गये हैं जिस पर डीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं है ।

18. अपीलान्ट के द्वारा अपील में जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं वो प्रकरण से सम्बन्धित हैं और इस कारण उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया गया है । इन दस्तावेजात में से उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 23.08.1999 के अनुसार खसरा नम्बर 105 और 107 की आराजी का खातेदार हीरालाल, नन्दकिशोर, फूलचन्द पुत्र घांसी व चन्द्रकला पुत्री घांसी को घोषित किया गया है और नामान्तरकरण संख्या 377 के अनुसार यह आराजी न्यायालय के निर्णय की पालना में हीरालाल, नन्दकिशोर व अन्य के खाते में दर्ज की गई है । हम इस प्रकरण में प्रतिवादीगण को इसके रिबटल में दस्तावेजात पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेकर प्रतिवादी रिबटल में कोई दस्तावेजात हो पेश करना चाहें तो पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा